26.5.26	पत्रावली पेश हुई। दावा वादी खारीज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज.)

डिक्री मुकदमा इब्तादाई
(औ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम करौली व इजलास

1. श्रीमति माया पत्नि रामरप उम्र 45 साल जाति मीना निवासी चुंगीनाका मासलपुर रोड करौली तहसील व जिला करौली (मृतक)
   1/1. रामरूप पुत्र स्व. देवपूल आयु 54 साल जाति मीना निवासी मासलपुर रोड चुंगीनाका करौली तहसील व जिला करौली
   1/2. प्रेमसिंह पुत्र रामरूप आयु 42 साल
   1/3. लोकिश पुत्र रामरूप आयु 30 साल
   ] जाति मीना निवासी मासलपुर मोड चुंगीनाका करौली
   1/4. प्रेमबाई पुत्री रामरूप पत्नि ललतेश आयु 35 साल जाति मीना निवासी कटक तहसील हिण्डौन जिला करौली

——वादीगण

बनाम

1. कमल पुत्र रामचरण आयु 42 साल जाति मीना निवासी सत्यवती बिहार करौली करौली व जिला करौली
2. लखनबाई पत्नि कमल उम्र 40 साल जाति मीना निवासी सत्यवती बिहार करौली तहसील व जिला करौली
3. छोटे पुत्र नथुआ
4. मुन्नी पुत्री नथुआ (फौत)
   ] जाति माली निवासी नदी भद्रवती करौली तहसील व जिला करौली
5. गोपाल पुत्र किशोरी उम्र 35 साल जाति माली निवासी नदी भद्रावती करौली करौली व जिला करौली
6. बुधिया बेवा किशोर आयु 58 साल जाति माली निवासी नदी भद्रावती करौली तहसील व जिला करौली
7. सोनू पुत्र भंवर नाबालिग उम्र 15 साल संरक्षक पिता भंवर पुत्र नामालूम जाति माली निवासी नकटीपुरा करौली व जिला करौली
8. गजराजसिंह पुत्र भगवतसिंह जाति मीना निवासी जगजीनपुर बैर जिला भरतपुर
9. रजनीश पुत्र श्रीकिशन जाति मीना निवासी महस्वा तहसील टोडाभीम जिला करौली
10. किशोर पुत्र शिब्बी जाति माली निवासी नदी भद्रावती करौली तहसील व जिला करौली
11. श्रीमति उगन्ती देवी पत्नि ओमप्रकाश जाति अग्रवाल निवासी स्टेडियम के पास हिण्डौन रोड करौली
12. शिवकुमार पुत्र मिश्रीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी इन्द्रा कॉलोनी करौली तहसील व जिला करौली
13. राजेन्द्र पुत्र हुकमचंद शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी इन्द्रा कॉलोनी करौली तहसील व जिला करौली (मृतक)
    13/1. कमलेश कुमार शर्मा पुत्र स्व. हुकमचंद शर्मा
    13/2. श्रीमति श्रीबाई पत्नि स्व. हुकमचंद शर्मा
    ] जाति ब्राहम्ण नि. इन्द्रा कॉलोनी करौली
    13/3. श्रीमति कमलादेवी पुत्री हुकमचंद पत्नि सुरेशचंद शर्मा निवासी ग्राम वटीकरा तहसील सरमथुरा जिला धौलपुर
    13/4. श्रीमति लक्ष्मी देवी पुत्री हुकमचंद शर्मा पत्नि लक्ष्मण प्रसाद शर्मा निवासी वटीकरा तहसील सरमथुरा जिला धौलपुर
14. श्रीमति रानी राजेन्द्र पत्नि उधौसिंह जाति राजपूत निवासी इन्द्रा कॉलोनी करौली तहसील व जिला करौली
15. लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार करौली तह व जिला करौली

——प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

दावा बाबत बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. 83/14

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी श्री रामविलास........ एडवोकेट मिनजानिब मुदई रूबरू श्री श्यामसुन्दर गर्ग एडवोकेट मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अतः दावा वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण खारिज किया जाता है एवं काउन्टर क्लेम प्रतिवादी नंबर 1 व 2 विरूद्ध वादीगण खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें। तदनुसार पर्चा डिकी जारी हो।

निज .... मुवलिग .... वावत .... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद निज वगरह ....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

वराख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 26.5.26 को सन् 2026 को जारी की गई।

मुहर

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

मुदई	रूपया	पैसे	मुददायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना अर्जी		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बावत इजराय हुक्मनामा		
बावत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

नोटः-इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, करौली

पीठासीन अधिकारी प्रेमराज मीना, उपखण्ड अधिकारी, करौली

मु0न0:–83 / 14 तारीख रजु:–13.10.14

उनवान

1. श्रीमति माया पत्नि रामरूप उम्र 45 साल जाति मीना निवासी चुंगीनाका मासलपुर रोड करौली तहसील व जिला करौली **(मृतक)**
   1/1. रामरूप पुत्र स्व. देवपूल आयु 54 साल जाति मीना निवासी मासलपुर रोड चुंगीनाका करौली तहसील व जिला करौली
   1/2. प्रेमसिंह पुत्र रामरूप आयु 42 साल]
   1/3. लोकिश पुत्र रामरूप आयु 30 साल] जाति मीना निवासी मासलपुर मोड चुंगीनाका करौली
   1/4. प्रेमबाई पुत्री रामरूप पत्नि ललतेश आयु 35 साल जाति मीना निवासी कटक तहसील हिण्डौन जिला करौली

—वादीगण

बनाम

1. कमल पुत्र रामचरण आयु 42 साल जाति मीना निवासी सत्यवती बिहार करौली करौली व जिला करौली
2. लखनबाई पत्नि कमल उम्र 40 साल जाति मीना निवासी सत्यवती बिहार करौली तहसील व जिला करौली
3. छोटे पुत्र नथुआ]
4. मुन्नी पुत्री नथुआ (फौत)] जाति माली निवासी नदी भद्रवती करौली तहसील व जिला करौली
5. गोपाल पुत्र किशोरी उम्र 35 साल जाति माली निवासी नदी भद्रावती करौली करौली व जिला करौली
6. बुधिया बेवा किशोर आयु 58 साल जाति माली निवासी नदी भद्रावती करौली तहसील व जिला करौली
7. सोनू पुत्र भंवर नाबालिग उम्र 15 साल संरक्षक पिता भंवर पुत्र नामालूम जाति माली निवासी नकटीपुरा करौली व जिला करौली
8. गजराजसिंह पुत्र भगवतसिंह जाति मीना निवासी जगजीनपुर बैर जिला भरतपुर
9. रजनीश पुत्र श्रीकिशन जाति मीना निवासी महस्वा तहसील टोडाभीम जिला करौली
10. किशोर पुत्र शिब्बी जाति माली निवासी नदी भद्रावती करौली तहसील व जिला करौली
11. श्रीमति उगन्ती देवी पत्नि ओमप्रकाश जाति अग्रवाल निवासी स्टेडियम के पास हिण्डौन रोड करौली
12. शिवकुमार पुत्र मिश्रीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी इन्द्रा कॉलोनी करौली तहसील व जिला करौली
13. राजेन्द्र पुत्र हुकमचंद शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी इन्द्रा कॉलोनी करौली तहसील व जिला करौली **(मृतक)**
    13/1. कमलेश कुमार शर्मा पुत्र स्व. हुकमचंद शर्मा]
    13/2. श्रीमति श्रीबाई पत्नि स्व. हुकमचंद शर्मा] जाति ब्राहम्ण नि. इन्द्रा कॉलोनी करौली
    13/3. श्रीमति कमलादेवी पुत्री हुकमचंद पत्नि सुरेशचंद शर्मा निवासी ग्राम

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज.)

वटीकरा तहसील सारमथुरा जिला धौलपुर

13/1. श्रीमति लक्ष्मी देवी पुत्री हुकमचंद शर्मा पत्नि लक्ष्मण प्रसाद शर्मा निवासी वटीकरा तहसील सारमथुरा जिला धौलपुर

14. श्रीमति रानी राजेन्द्र पत्नि उधौसिंह जाति राजपूत निवासी इन्द्रा कॉलोनी करौली तहसील व जिला करौली

15. लैण्ड होल्डर तहसीलदार करौली राह व जिला करौली

——प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा

—::निर्णय::— दिनांक :— 26.5.96

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि वादीया व प्रतिवादीगण संख्या 3 लगायत 14 की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी खसरा नंबर 1358/1 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा वांके शहर करौली तहसील करौली में स्थित है। जिसमें वादीया का 1/6 हिस्सा है वादीया संयुक्त रूप से उक्त आराजी पर काबिज रहकर मुश्तका तौर पर अपने हिस्से की भूमि को दीगर सह काश्तकारान के साथ काश्त करती चली आ रही है और काबिज है लगान सरकार में शामिलमें अदा करती है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का विवादित भूमि से किसी प्रकार का कोई लेना—देना ताल्लुक व सरोकार नहीं है और वगैर किसी हक हकूक व अधिकार के बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के कृषि भूमि को अकृषि में परिवर्तन करने पर तुले हुए है और जेसीबी से भूमि को काट कर उसे वगैर सहमति वादीया व अन्य दीगर सह खातेदारी खोदने लग गये और मौके पर नींव लगने को कारीगर कल दिनांक 9.10.14 को गुला लिये तथा नीवं खुदाना प्रारम्भ करा दिया जिस पर वादीया ने प्रतिवादी संख्या 1 व 2 से नींव खुदाने व भराने को मना किया तो वह झगडा करे को आमादा फिसाद हो गये और ऐलानिया धमकी देने लग पडे कि हम ने जमीन को खरीद लिया है हम तो नीव खुदाकर इसमें मकान निर्माण कराकर रहेंगे तुम्हारी इच्छा हो जहां पुकारों इस प्रकार वादीया ने कहा कि अभी जमीन का बंटवारा नहीं हुआ है वगैर बंटवारा कराये तुम्हे किसी प्रकार का निर्माण कराने का कोई कानूनन हक नहीं है। विवादित भूमि का पक्षकारान वादीया व प्रतिवादी संख्या 3 ता 14 के मध्य कोई बंटवारा नहीं हुआ है आराजी अविभाज्य चलई आ रही है जब

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

तक कानूनन सक्षम न्यायालय से बंटवारा ना हो जाये तब तक प्रत्येक सह काश्तकार का प्रत्येक इंच भूमि पर मुश्तका कब्जे की उपधारणा कानूनन मानी जावेगी। कोई भूमि रूपान्तरण आदेश प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पास नहीं है। वगैर भूमि रूपान्तरण कराये कृषि भूमि को अकृषि में परिवर्तन कराने का कोई विधिक अधिकार उन्हें नहीं है। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के पास नहीं है। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के अवैधनिक कृत्य से हकूक वादीया पर भारी कुठाराघात है इसलिये वह प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पबंद कराने की अधिकारी ह`विनाय मुखास्मत दिनांक 9.10.14 को प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 द्वारा अवैधानिक रूप से जेसीबी चलने व नीवं भराकर विवादित भूमियों में निर्माण कराने की धमकी देने तथा प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 14 द्वारा उक्त बंटवारा करने से इंकार होने पर पैदा हुई दावा अंदर मियाद है व काबिज समाअत अदालत हाजा है। प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 4 सहकाश्तकार है जिन्हें बंटवारा करने को कहा तो वह स्पष्ट इंकार दिनांक 9.10.14 को हो गये प्रतिवादी संख्या 15 आवश्यक पक्षकार मुकदमा होने के कारण पक्षकार मुकदमा बनाया गया है। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे ि कवह आराजी खसरा नंबर 1358/1 ाकबस 1 बीघा 11 बिस्वा वांके शहर करौली तहसील करौली में किसी प्रकार का निर्माण कार्य ना तो स्वंय करे ना ही परिवारीजन व सहयोगी द्वारा करवाये ना जेसीबी से भूमि समतल कराये स्थिति यथावत बनाये रखो विवादित भूमि का बंटवारा कराया जाकर वादी का 1/6 हिस्सा सेपरेट करते हुए खातेदारी व लगान पृथक किये जाने के आदेश प्रतिवादी संख्या 15 को प्रदान किये जाकर राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज बंटवारा अनुसार कराया जाकर बंटवारा स्कीम तैयार करावे जावे। अंत में दावा वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी नंबर 6 ता 9 बावजूद तामील उपस्थित नहीं होने पर इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई एवं प्रतिवादी नंबर 1 व 2 द्वारा जबाव प्रस्तुत कर कथन किया है कि

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

आराजीयात खसरा नंबर 1358/1 कस्बा करौली में स्थित होना स्वीकार है। वादीया का कहना कि वादीया व प्रतिवादी नंबर 3 लगायत 14 संयुक्त रूप से उक्त आराजी पर काबिज रह कर मुस्तर्का तौर पर काश्त करते चले आ रहे है और लगान सरकार में अदा कर रहे है। विवादित आराजीयात में बीसीयों वर्ष से कभी कोई काश्त आज तक नहीं हुई है। मौके पर साबिक खातेदारान के द्वारा हिस्से अनुसार विधिवत रूप से बंटवारा कर लिया और मुताबिक बंटवारा सभी हिस्सेदार काबिज काश्त है। मुझ प्रतिवादिया नंबर 2 ने प्रतिवादी नंबर 8 व 9 के हिस्से की आराजीयात को जरिये रजि विक्रय पत्र खरीद कर कब्जा प्राप्त किया है वादिया का यह कहना भी है कि दिनांक 9.10.14 को जेसीबी से भूमि को काट कर वगैर सहमति वादिया व अन्य सह खातेदारान खोदने लग गये हो और कारीगर बुला कर नींव खुदवाना प्रारम्भ कर दिया हो और वादिया का यह कहना भी गलत है कि वादीया ने मना किया हो और हम प्रतिवादीगण झगडा करने पर आमादा फसाद हो गये हो और हमने ऐलानिया धमकी दी हो कि हम मकान निर्माण करके रहेंगे। वादिया का यह कहना भी गलत है कि विवादित भूमि का पक्षकारान के मध्य कोई बंटवारा नहीं हुआ हो और अविभाजित चली आ रही हो। वादिया का यह कहना भी गलत है कि वादिया के हकूकों पर कुठारघात हो और वादिया जरिये स्थायी निषेधाज्ञा हम प्रतिवादीगण को पाबंद कराने की मुश्तहक हो। वादिया शुद्व हस्त से नहीं आई है। वादिया ने इस मद से सारे तथ्य गलत अंकित किये है। जब कि वादिया के खुद के समक्ष व अन्य समस्त सह खातेदारान की उपस्थिति मे हम प्रतिवादीगण द्वारा जमीन खरीदने के उपरांत तत्काल मौके पर अपनी–अपनी खरीद शुदा मिल्कीयत व कब्जे के भूखण्ड की बाउण्ड्री पक्की नींव भरवा कर दासेबंदी करके करीब 5–6 फट उंची दीवाल बना कर अपने हिस्से व कब्जे की भूमि पर निर्माण किया गया है। वादिया ने दिनांक 9.10.14 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा जेसीबी चला कर नींव भरवाने की बात व ऐलानिया धमकी देने की बात कतई गलत दर्ज की है। दावा म्याद बहार है और काबिल समाअत न्यायालय हाजा नहीं है। वादिया ने कभी भी किसी भी सह खातेदार से बंटवारा करने की नहीं कहा। दावा वादिया

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज.)

निराधार है। विवादित भूमि का बंटवारा बीसीयों वर्ष पूर्व हो चुका है और वाहमी बंटवारा अनुसार सभी खातेदारान बतौर खातेदार काबिज है। दावा वादिया मय खर्चा खारिज फरमाया जा कर काउन्टर क्लेम प्रतिवादीगण नंबर 1 व 2 डिक्री फरमाया जा कर मुताबिक वयनामा प्रतिवादी नंबर 8 व 9 एवं 11 व 14 के स्थान पर विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं राजस्व रिकॉर्ड में हमारे नाम इन्द्राज कराये जावे। वादिया व उसके सहयोगियों को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा हमारे कब्जे व मिल्कीयत की भूमि में किसी प्रकार का कोई व्यवधान पैदा नहीं करने व कराने व हमें जबरन बेदखल नहीं करने को पाबंद फरमाया जावे। **प्रतिवादी नंबर 3, 5, 10 द्वारा जबाव दावा प्रस्तुत कर कथन किया है कि** विवादित भूमि से प्रतिवादी नंबर 1 व 2 का कोई संबंध सरोकार नहीं हो एवं बिना हक हकूक के बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के कृर्षि भूमि को अकृर्षि में परिवर्तित करने व भूमि को जेसीबी से काट कर उसे खोदने व नीवं लगाने को कारीगर दिनांक 9.10.14 को बुला लेना स्वीकारह" मना करने पर झगडा करने व आमादा फिसाद होना स्वीकार है। वकिया इबारत गलत है स्वीकार नहीं है। विवादित भूमि का साबिक खातेदार नथुआ व दुल्ली के समय से ही बीसीयों वर्ष पूर्व वाहमी बंटवारा प्रतिवादी नंबर 3 ता 14 का वादीया का हो रहा है। उदसी अनुसार वादीया व प्रतिवादी नंबर 3 ता 14 काबिज काश्त बतौर खातेदार है। प्रतिवादी नंबर 1 व 2 को पाबंद किये जाने में प्रतिवादीगण को कोई एतराज नहीं है। विवादित भूमि में प्रतिवादी नंबर 3 व 4 का 956/4688 एवं प्रतिवादी नंबर 5 व 6 का 217/4688 हिस्सा है। प्रतिवादी नंबर 7 सोनू का 260/4688 हिस्सा है। प्रतिवादी नंबर 8 व 9 का 911/4688 हिस्सा है। प्रतिवादी नंबर 10 का 1/48 हिस्स एवं प्रतिवादी नंबर 11 ता 14 की शेष हिस्सा भूमि है। प्रतिवादी नंबर 3 ता 10 अपने हिस्से पर काबिज बतौर खातेदार है। दिनांक 9.10.14 को प्रतिवादी नबर 1 व 2 द्वारा अवैधानिक रूप से जेसीबी चलाने व नींव भराकर विवादित भूमि में निर्माण कराने की धमकी देना स्वीकार है। वकिया इबारत जिस तौर पर दर्ज है। गलत है। स्वीकार नहीं है। विवादित भूमि का वाहमी बंटवारा बीसीयों वर्ष पूर्व हो चुका है। उसी

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

अनुसार वादीया व प्रतिवादीगण ने कभी एतराज नहीं किया है। दावा वादीगण वेग व निराधार है। विवादित भूमि का वाहमी बंटवारा बीसीयों वर्ष पूर्व हो चुका है और वाहमी बंटवारा अनुसार वादीया व प्रतिवादी नंबर 3 ता 14 काबिज बतौर खातेदार है। राजस्व रिकॉर्ड में हिस्सा अनुसार बंटवारा किये जाने में प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है। अंत में दावा वादी खारिज किये जाने का निवेदन किया है। **प्रतिवादी नंबर 11 व 14 द्वारा जबाव दावा प्रस्तुत कर कथन किया है कि** प्रतिवादी नंबर 8 व 9 द्वारा अपने हिस्से व कब्जे के भूखण्ड को दिनांक 21.3.13 को जरिये रजि. विक्रय पत्र प्रतिवादी नंबर 2 को एव हम प्रतिवादीगण 11 व 14 द्वारा अपने हक व हिस्से की भूमि को प्रतिवादी नंबर 2 को जरिये रजि. विक्रय पत्र दिनांक 31.1.14 को विक्रय कर कब्जा करा दिया। तभी से प्रतिवादी नंब्श्र 1 व 2 वाहैसियत खातेदार काबिज है। विवादित भूमि बीसीयों वर्ष से काश्तकारी के काम में नहीं आ रही है और ना ही सरकार द्वारा लगान किया जा रहा है। हम प्रतिवादीगण 11 व 14 ने साबिक खातेदारान से उनके बंटवारे में आई भूमि उनके हिस्से अनुसार उनके कब्जे की भूमि को खरीद कर कब्जा प्राप्त किया है। सभी हिस्सेदारान न की मौके पर जमीनें बटी हुई थी और मुताबिक बंटवारा काबिज थे विवादित भूमि कभी भी बीसीयों वर्ष पूर्व से काश्तकारी उपयोग में नहीं आ रही थी प्रतिवादी नंबर 1 व 2 द्वारा खरीद कर तत्काल सभी खातेदारान की उपस्थिति में उनकी सहमति से अपनी खरीद शुदा भूमि की नाम जोख करा कर नीम खुदवा कर पक्की दासेबंदी कर उसके उपर 5–6 फुट उंची दीवार बना कर ताला लगा लिया है। प्रतिवादीगण का निर्माण कार्य जुलाई 2014 में ही पूर्ण हो चुका था जो दायरी दावे से पूर्व ही पूर्ण हो चुका है। प्रतिवादी नंबर 1 व 2 बतौर खातेदार अपनी खरीद शुदा भूमि पर वाहैसियत खातेदार काबिज है। वादिया को प्रतिवादी नंबर 1 व 2 के विरूद्व किसी प्रकार की कोई निषधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। प्रतिवादी नंबर 1 व 2 का निर्माण कार्य दायरी दावे से पूर्व जुलाई 2014 में ही पूर्ण हो चुका था इसलिये वादिया को कोई बिनाय दावा 9.10.14 को पैदा होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। मौके पर अन्य प्रतिवादीगण की भूमि पूर्व से

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

ही बटी हुई है और आवासीय भूखण्डों के रूप में है। कुछ प्रतिवादीगण की विवादित भूमि में रिहायसी मकानीयत भी वनी हुई है। जिनमें वह रिहायश कर रहे है। वादिया ने स्वंय ने साबिक खातेदार की रिहायश भूमि को ही खरीद किया है। वादिया ने खरीद के वाद उसकी पाटौर पोश मकानीयत को उतर वाया है। इसलिय वादिया का यह कहना गलत है। वादिया ने सह खातेदारान से बंटवारा करने की बात दिनांक 9.10.14 को कहा हो कतई गलत है। हमसे वादिया ने कभी कोई संपर्क नहीं किया ना ही इस संबंध में कोई बातचीत की है। दावा वादीया वेग निराधार है। विवादित भूमि का बंटवारा बीसीयों वर्ष पूर्व हो चुका है और वाहमी बंटवारा अनुसार सभी खातेदारान बतौर खातेदार काबिज है। वादिया कोई दादरसी पाने की अधिकारी नहीं है। **प्रतिवादी संख्या 12 व 13/1 ता 13/4 द्वारा जबाव दावा प्रस्तुत कर कथन किया है कि** विवादित आराजीयात का कब्जा करौली में स्थित होना स्वीकारह ै जिसमें मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड हम पक्षकारान का हक व हिस्सा है। वादीगण ने हम जबावदारान से कोई बंटवारा कराने की नहीं कहा सारी कहानी फर्जी मनगढंत दर्ज की है वादी ने यह वाद पत्र फर्जी मनगढंत तथ्यों पर पेश किया है उक्त आराजी संयुक्त कब्जे होने से वादी के दिल में बदयान्ती आ गई है वह संयुक्त कब्जे की भूमि को इस दावे की आड़ में हडपना चाहते है व हम जबावदारान को हिस्से की भूमि से बेदखल करना चाहता है। उक्त आराजी का बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा किये जाने से हम जबावदारान को कोई आपत्ति नहीं है। अंत दावा वादी खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वादी व प्रतिवादीगण के अभिवचनों के आधार पर निम्नांकित विवाद्यक बिन्दू विरचित किये गयेः–

1. आया वादग्रस्त आराजीया वादीगण व प्रतिवादी नंबर 3 लगायत 14 के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की है। जिसमें वादीगण का 1/6 हिस्सा है। वादीगण अपने 1/6 हिस्से का बंटवारा कराने के अधिकारी है। ––वादीगण

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

2. आया वादीगण वादग्रस्त भूमि के 1/6 हिस्से के खातेदार काश्तकार है। वादीगण प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के अधिकारी है। —वादीगण

3. आया प्रतिवादी नंबर 1 व 2 जरिये काउन्टर क्लेम वादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी है। —**प्रतिवादी नंबर 1 व 2**

4. दावा वादी वादकारण के अभाव में खारिज किये जाने योग्य है।

—**प्रतिवादीगण**

5. अनुतोष :—

वाद विवाद्यक बिन्दू वादी साक्ष्य ली गई। वादी ने अपनी मौखिक साक्ष्य में वादी रामरूप पीडब्ल्यू—1 के बयान लेखबद्व कराये है एवं दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबंदी संवत 2068—71 प्रदर्श—1 पेश कर प्रदर्शित कराया है। साक्ष्य वादीगण समाप्त कर बंद की गई।

प्रतिवादीगण ने अपनी मौखिक साक्ष्य में प्रतिवादी कमलराम डीडब्ल्यू—1 कमलराम के बयान लेखबद्व कराये है एवं दस्तावेज बयनामा प्रदर्श ए—1, ए—2 व ए—3, नक्शा प्रदर्श ए—4, जमाबंदी प्रदर्श ए—5 प्रस्तुत कर प्रदर्शित कराया है। साक्ष्य प्रतिवादीगण समाप्त कर बंद की गई।

बहस वकील वादीगण व प्रतिवादीगण का सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील वादीगण का बहस में कथन है कि वादीया व प्रतिवादीगण संख्या 3 लगायत 14 की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी खसरा नंबर 1358/1 रकबा 1 बीघा 11 विस्वा वांके शहर करौली तहसील करौली में स्थित है। जिसमें वादीया का 1/6 हिस्सा है वादीया संयुक्त रूप से उक्त आराजी पर काविज रहकर मुश्तका तौर पर अपने हिस्से की भूमि को दीगर सह काश्तकारान के साथ काश्त करती चली आ रही है और काविज है लगान सरकार में शामिलमें अदा करती है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का विवादित भूमि से किसी प्रकार का कोई लेना—देना ताल्लुक व सरोकार नहीं है और वगैर किसी हक हकूक

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज.)

व अधिकार के बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के कृषि भूमि को अकृषि में परिवर्तन करने पर तुले हुए है और जेसीबी से भूमि को काट कर उसे वगैर सहमति वादीया व अन्य दीगर सह खातेदारी खोदने लग गये और मौके पर नींव लगने को कारीगर कल दिनांक 9.10.14 को गुला लिये तथा नीवं खुदाना प्रारम्भ करा दिया जिस पर वादीया ने प्रतिवादी संख्या 1 व 2 से नींव खुदाने व भराने को मना किया तो वह झगडा करे को आमादा फिसाद हो गये और ऐलानिया धमकी देने लग पडे कि हम ने जमीन को खरीद लिया है हम तो नीव खुदाकर इसमें मकान निर्माण कराकर रहेंगे तुम्हारी इच्छा हो जहां पुकारों इस प्रकार वादीया ने कहा कि अभी जमीन का बंटवारा नहीं हुआ है वगैर बंटवारा कराये तुम्हे किसी प्रकार का निर्माण कराने का कोई कानूनन हक नहीं है। विवादित भूमि का पक्षकारान वादीया व प्रतिवादी संख्या 3 ता 14 के मध्य कोई बंटवारा नहीं हुआ है आराजी अविभाज्य चलई आ रही है जब तक कानूनन सक्षम न्यायालय से बंटवारा ना हो जाये तब तक प्रत्येक सह काश्तकार का प्रत्येक इंच भूमि पर मुश्तका कब्जे की उपधारणा कानूनन मानी जावेगी। कोई भूमि रूपान्तरण आदेश प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पास नहीं है। वगैर भूमि रूपान्तरण कराये कृषि भूमि को अकृषि में परिवर्तन कराने का कोई विधिक अधिकार उन्हें नहीं है। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के पास नहीं है। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के अवैधनिक कृत्य से हकूक वादीया पर भारी कुठाराघात है इसलिये वह प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पबंद कराने की अधिकारी है विनाय मुखास्मत दिनांक 9.10.14 को प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 द्वारा अवैधानिक रूप से जेसीबी चलने व नीवं भराकर विवादित भूमियों में निर्माण कराने की धमकी देने तथा प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 14 द्वारा उक्त बंटवारा करने से इंकार होने पर पैदा हुई दावा अंदर मियाद है व काबिज समाअत अदालत हाजा है। प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 4 सहकाश्तकार है जिन्हें बंटवारा करने को कहा तो वह स्पष्ट इंकार दिनांक 9.10.14 को हो गये प्रतिवादी संख्या 15 आवश्यक पक्षकार मुकदमा होने के कारण पक्षकार मुकदमा बनाया गया है। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि

प्रतिलिपि अधिकारी
करौली (राज०)

वह आराजी खसरा नंबर 1358/1 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा वांके शहर करौली तहसील करौली में किसी प्रकार का निर्माण कार्य ना तो स्वंय करे ना ही परिवारजन व सहयोगी द्वारा करवाये ना जेसीबी से भूमि समतल कराये स्थिति यथावत बनाये रखो विवादित भूमि का बंटवारा कराया जाकर वादी का 1/6 हिस्सा सेपरेट करते हुए खातेदारी व लगान पृथक किये जाने के आदेश प्रतिवादी संख्या 15 को प्रदान किये जाकर राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज बंटवारा अनुसार कराया जाकर बंटवारा स्कीम तैयार करावे जावे। अंत दावा वादी डिक्री किया जावे।

वकील प्रतिवादीगण का बहस में कथन है कि आराजीयात खसरा नंबर 1358/1 कस्बा करौली में स्थित होना स्वीकार है। वादीया का कहना कि वादीया व प्रतिवादी नंबर 3 लगायत 14 संयुक्त रूप से उक्त आराजी पर काबिज रह कर मुस्तर्का तौर पर काश्त करते चले आ रहे है और लगान सरकार में अदा कर रहे है। विवादित आराजीयात में बीसीयों वर्ष से कभी कोई काश्त आज तक नहीं हुई है। मौके पर साबिक खातेदारान के द्वारा हिस्से अनुसार विधिवत रूप से बंटवारा कर लिया और मुताबिक बंटवारा सभी हिस्सेदार काबिज काश्त है। मुझ प्रतिवादिया नंबर 2 ने प्रतिवादी नंबर 8 व 9 के हिस्से की आराजीयात को जरिये रजि विक्रय पत्र खरीद कर कब्जा प्राप्त किया है वादिया का यह कहना भी है कि दिनांक 9.10.14 को जेसीबी से भूमि को काट कर वगैर सहमति वादिया व अन्य सह खातेदारान खोदने लग गये हो और कारीगर बुला कर नींव खुदवाना प्रारम्भ कर दिया हो और वादिया का यह कहना भी गलत है कि वादीया ने मना किया हो और हम प्रतिवादीगण झगडा करने पर आमादा फसाद हो गये हो और हमने ऐलानिया धमकी दी हो कि हम मकान निर्माण करके रहेंगे। वादिया का यह कहना भी गलत है कि विवादित भूमि का पक्षकारान के मध्य कोई बंटवारा नहीं हुआ हो और अविभाजित चली आ रही हो। वादिया का यह कहना भी गलत है कि वादिया के हकूकों पर कुठारघात हो और वादिया जरिये स्थायी निषेधाज्ञा हम प्रतिवादीगण को पाबंद कराने की मुश्तहक हो। वादिया शुद्व हस्त से नहीं आई है। वादिया ने इस मद से सारे तथ्य गलत अंकित किये है। जब कि वादिया के खुद के समक्ष व अन्य

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

समस्त सह खातेदारान की उपस्थिति मे हम प्रतिवादीगण द्वारा जमीन खरीदने के उपरांत तत्काल मौके पर अपनी–अपनी खरीद शुदा मिल्कीयत व कब्जे के भूखण्ड की वाउण्ड्री पक्की नींव भरवा कर दासेबंदी करके करीव 5–6 फट उंची दीवाल वना कर अपने हिस्से व कब्जे की भूमि पर निर्माण किया गया है। वादिया ने दिनांक 9.10.14 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा जेसीवी चला कर नींव भरवाने की बात व ऐलानिया धमकी देने की बात कतई गलत दर्ज की है। दावा म्याद बहार है और काबिल समाअत न्यायालय हाजा नहीं है। वादिया ने कभी भी किसी भी सह खातेदार से बंटवारा करने की नहीं कहा। दावा वादिया निराधार है। विवादित भूमि का बंटवारा बीसीयों वर्ष पूर्व हो चुका है और वाहमी बंटवारा अनुसार सभी खातेदारान बतौर खातेदार काबिज है। दावा वादिया मय खर्चा खारिज फरमाया जा कर काउन्टर क्लेम प्रतिवादीगण नंबर 1 व 2 डिक्री फरमाया जा कर मुताबिक वयनामा प्रतिवादी नंबर 8 व 9 एवं 11 व 14 के स्थान पर विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं राजस्व रिकॉर्ड में हमारे नाम इन्द्राज कराये जावे। वादिया व उसके सहयोगियों को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा हमारे कब्जे व मिल्कीयत की भूमि में किसी प्रकार का कोई व्यवधान पैदा नहीं करने व कराने व हमें जबरन बेदखल नहीं करने को पाबंद फरमाया जावे। विवादित भूमि से प्रतिवादी नंबर 1 व 2 का कोई संबंध सरोकार नहीं हो एवं बिना हक हकूक के बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के कृर्षि भूमि को अकृर्षि में परिवर्तित करने व भूमि को जेसीबी से काट कर उसे खोदने व नीवं लगाने को कारीगर दिनांक 9. 10.14 को बुला लेना स्वीकारह" मना करने पर झगडा करने व आमादा फिसाद होना स्वीकार है। वकिया इबारत गलत है स्वीकार नहीं है। विवादित भूमि का साबिक खातेदार नथुआ व दुल्ली के समय से ही बीसीयों वर्ष पूर्व वाहमी बंटवारा प्रतिवादी नंबर 3 ता 14 का वादीया का हो रहा है। उदसी अनुसार वादीया व प्रतिवादी नंबर 3 ता 14 काबिज काश्त बतौर खातेदार है। प्रतिवादी नंबर 1 व 2 को पाबंद किये जाने में प्रतिवादीगण को कोई एतराज नहीं है। विवादित भूमि में प्रतिवादी नंबर 3 व 4 का 956/4688 एवं प्रतिवादी नंबर 5 व 6 का 217/4688

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

हिस्सा है। प्रतिवादी नंबर 7 सोनू का 260/4688 हिस्सा है। प्रतिवादी नंबर 8 व 9 का 911/4688 हिस्सा है। प्रतिवादी नंबर 10 का 1/48 हिस्स एवं प्रतिवादी नंबर 11 ता 14 की शेष हिस्सा भूमि है। प्रतिवादी नंबर 3 ता 10 अपने हिस्से पर काबिज बतौर खातेदार है। दिनांक 9.10.14 को प्रतिवादी नबर 1 व 2 द्वारा अवैधानिक रूप से जेसीबी चलाने व नींव भराकर विवादित भूमि में निर्माण कराने की धमकी देना स्वीकार है। वकिया इबारत जिस तौर पर दर्ज है। गलत है। स्वीकार नहीं है। विवादित भूमि का वाहमी बंटवारा बीसीयों वर्ष पूर्व हो चुका है। उसी अनुसार वादीया व प्रतिवादीगण ने कभी एतराज नहीं किया है। दावा वादीगण वेग व निराधार है। विवादित भूमि का वाहमी बंटवारा बीसीयों वर्ष पूर्व हो चुका है और वाहमी बंटवारा अनुसार वादीया व प्रतिवादी नंबर 3 ता 14 काबिज बतौर खातेदार है। राजस्व रिकॉर्ड में हिस्सा अनुसार बंटवारा किये जाने में प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है। अंत में दावा वादी खारिज किये जाने का निवेदन किया है। प्रतिवादी नंबर 8 व 9 द्वारा अपने हिस्से व कब्जे के भूखण्ड को दिनांक 21.3.13 को जरिये रजि. विक्रय पत्र प्रतिवादी नंबर 2 को एव हम प्रतिवादीगण 11 व 14 द्वारा अपने हक व हिस्से की भूमि को प्रतिवादी नंबर 2 को जरिये रजि. विक्रय पत्र दिनांक 31.1.14 को विक्रय कर कब्जा करा दिया। तभी से प्रतिवादी नंब्श्र 1 व 2 वाहैसियत खातेदार काबिज है। विवादित भूमि बीसीयों वर्ष से काश्तकारी के काम में नहीं आ रही है और ना ही सरकार द्वारा लगान किया जा रहा है। हम प्रतिवादीगण 11 व 14 ने साबिक खातेदारान से उनके बंटवारे में आई भूमि उनके हिस्से अनुसार उनके कब्जे की भूमि को खरीद कर कब्जा प्राप्त किया है। सभी हिस्सेदारान न की मौके पर जमीनें बटी हुई थी और मुताबिक बंटवारा काबिज थे विवादित भूमि कभी भी बीसीयों वर्ष पूर्व से काश्तकारी उपयोग में नहीं आ रही थी प्रतिवादी नंबर 1 व 2 द्वारा खरीद कर तत्काल सभी खातेदारान की उपस्थिति में उनकी सहमति से अपनी खरीद शुदा भूमि की नाम जोख करा कर नीम खुदवा कर पक्की दासेबंदी कर उसके उपर 5–6 फुट उंची दीवार बना कर ताला लगा लिया है। प्रतिवादीगण का निर्माण कार्य जुलाई 2014 में ही पूर्ण हो

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

चुका था जो दायरी दावे से पूर्व ही पूर्ण हो चुका है। प्रतिवादी नंबर 1 व 2 बतौर खातेदार अपनी खरीद शुदा भूमि पर वाहैसियत खातेदार काबिज है। वादिया को प्रतिवादी नंबर 1 व 2 के विरूद्व किसी प्रकार की कोई निषधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। प्रतिवादी नंबर 1 व 2 का निर्माण कार्य दायरी दावे से पूर्व जुलाई 2014 में ही पूर्ण हो चुका था इसलिये वादिया को कोई बिनाय दावा 9.10.14 को पैदा होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। मौके पर अन्य प्रतिवादीगण की भूमि पूर्व से ही बटी हुई है और आवासीय भूखण्डों के रूप में है। कुछ प्रतिवादीगण की विवादित भूमि में रिहायसी मकानीयत भी बनी हुई है। जिनमें वह रिहायश कर रहे है। वादिया ने स्वंय ने साबिक खातेदार की रिहायश भूमि को ही खरीद किया है। वादिया ने खरीद के वाद उसकी पाटौर पोश मकानीयत को उतर वाया है। इसलिय वादिया का यह कहना गलत है। वादिया ने सह खातेदारान से बंटवारा करने की बात दिनांक 9.10.14 को कहा हो कतई गलत है। हमसे वादिया ने कभी कोई संपर्क नहीं किया ना ही इस संबंध में कोई बातचीत की है। दावा वादीया वेग निराधार है। विवादित भूमि का बंटवारा बीसीयों वर्ष पूर्व हो चुका है और वाहमी बंटवारा अनुसार सभी खातेदारान बतौर खातेदार काबिज है। वादिया कोई दादरसी पाने की अधिकारी नहीं है। विवादित आराजीयात का कब्जा करौली में स्थित होना स्वीकारह ै जिसमें मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड हम पक्षकारान का हक व हिस्सा है। वादीगण ने हम जबावदारान से कोई बंटवारा कराने की नहीं कहा सारी कहानी फर्जी मनगढंत दर्ज की है वादी ने यह वाद पत्र फर्जी मनगढंत तथ्यों पर पेश किया है उक्त आराजी संयुक्त कब्जे होने से वादी के दिल में बदयान्ती आ गई है वह संयुक्त कब्जे की भूमि को इस दावे की आड़ में हडपना चाहते है व हम जबावदारान को हिस्से की भूमि से बेदखल करना चाहता है। उक्त आराजी का बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा किये जाने से हम जबावदारान को कोई आपत्ति नहीं है। अंत दावा वादी खारिज किया जावे व काउन्टर क्लेम डिक्री किया जावे।

बहस वकील उभयपक्ष का मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत साक्ष्य व दस्तावेज एवं राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज.)

प्रकरण का तनकीवार विवेचन किया जाना उचित है जो निम्न प्रकार है:–

विवाद्यक संख्या 1 व 2 को साबित करने का भार वादीगण पर है। वादीगण ने इन विवाद्यकों के संबंध में नकल जमाबंदी संवत 2068–71 प्रदर्श–1 प्रस्तुत की है। जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादीगण के अलावा सह खातेदारान के नाम खातेदारी दर्ज है। वादी ने अपनी जिरह में श्रीलाल का मकान बना हुआ होना एवं भूखण्डों का वयनामा कॉमर्शियल व आवासीय हुए हो तो मेरी जानकारी में नहीं होना बताया है एवं लखनबाई व कमलराम द्वारा इस भूमि में सन् 2014 में निर्माण कर लेना स्वीकार किया है एवं वादीगण द्वारा खसरा काश्त करने की कोई गिरदावरी पत्रावली में प्रस्तुत नहीं की है। जिसके खण्डन में प्रतिवादीगण द्वारा आवासीय भूखण्ड खरीद करना एवं मकान निर्माण कर रिहायश करना और आपसी सहमति से बंटवारा मौके पर होना बताया है। अतः विवाद्यक संख्या 1 व 2 वादीगण के विरूद्व प्रतिवादीगण के पक्ष में तय कर निर्णित किये जाते है।

विवाद्यक संख्या 3 को साबित करने का भार प्रतिवादी नंबर 1 व 2 पर है। प्रतिवादी नंबर 1 व 2 द्वारा इस संबंध में वयनामा प्रदर्श ए–1 लगायत ए–3 प्रस्तुत किये है। परन्तु कोई राजस्व रिकॉर्ड जमांबदी प्रतिवादी नंबर 1 व 2 के खातेदारी में दर्ज हो प्रस्तुत नहीं किया है। प्रतिवादी नंबर 1 व 2 भूमि के खातेदारी नहीं होने से वादी के विरूद्व कोई स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के हकदार नहीं है। अतः विवाद्यक संख्या 3 प्रतिवादी नंबर 1 व 2 के विरूद्व वादीगण के पक्ष में तय कर निर्णित किया जाता है।

विवाद्यक संख्या 4 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादीगण ने इस विवाद्यक के संबंध में वयनामा प्रदर्श ए–1 लगायत ए–3 व नक्शा प्रदर्श ए–4 प्रस्तुत किया है। जिससे वादग्रस्त भूमि में भूखण्ड तैयार कर विक्रय किये गये है। भूमि का मौके पर आवासीय उपयोग होने से वादीगण को भूमि का बंटवारा कराने का कोई वादकारण उत्पन्न होना प्रकट नहीं होता है। अतः विवाद्यक संख्या 4

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

प्रतिवादीगण के पक्ष में वादीगण के विरूद्व तय कर निर्णित किया जाता है।

विवाद्यक संख्या 5 अनुतोष है। विवाद्यक संख्या 1 ता 4 के विवेचन से वादग्रस्त भूमि में खातेदारान द्वारा भूखण्ड तैयार कर भूखण्ड विक्रय किया जाना एवं भूमि में मकानियत का निर्माण होकर रिहायश होना एवं वादी द्वारा वयनामा में दर्ज क्रेतागण को पक्षकार नहीं बनाने से दावा वादीगण बंटवारा व स्थाई निषधाज्ञा चलने योग्य नहीं है एवं प्रतिवादी नंबर 1 व 2 का वादग्रस्त भूमि का खातेदार काश्तकार नहीं होने से वादीगण के विरूद्व काउन्टर क्लेम के द्वारा किसी प्रकार की स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के हकदार नहीं है। दावा वादीगण व काउन्टर क्लेम प्रतिवादीगण वादकारण के अभाव में चलने योग्य नहीं है।

अतः दावा वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण खारिज किया जाता है एवं काउन्टर क्लेम प्रतिवादी नंबर 1 व 2 विरूद्व वादीगण खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 26.5.26 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(प्रेमराज मीना)
उपखण्ड अधिकारी,
करौली